

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Budget-2019/ **Unst.- 35/ 20-CM**
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 23 .02.2019

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 35 due for
25.02.2019 asked by Smt. Pramila Tokas, MLA.**

Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch/1240 dated 15.02.2019 received from Dy. Secretary (QB), Old Secretariat, Delhi -54, on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.


(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)
Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 35

दिनांक :- 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्रीमती प्रमिला टोकस, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर																																				
(क)	क्या यह सत्य है कि एमवीवी कंपनी और जल बोर्ड के बीच हुए समझौते के तहत वसंत विहार, वसंत एनक्लेव, आनंद निकेतन, शांति निकेतन वेस्टएण्ड आदि कालोनियों में जल आपूर्ति करने के लिए पीने के पानी की लाइनें बिछाने का कार्य किया जाना था;	जी हाँ।																																				
(ख)	यदि हाँ, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्ण विवरण दें;	<table border="1"><thead><tr><th>सी. नं.</th><th>कॉलोनी नाम</th><th>पाईप लाईन की लम्बाई</th><th>कम्पलीट किया कार्य</th><th>बचा हुआ पाईप कार्य</th><th>कारण</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>वसंत विहार</td><td>27.5 KM</td><td>22.0 KM</td><td>5.5 KM</td><td>रोड कटाई परमिशन नहीं मिलने के कारण।</td></tr><tr><td>2.</td><td>वसंत एनक्लेव</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>यहाँ पर पाईप लाईन 2012 में बदली गयी थी।</td></tr><tr><td>3.</td><td>आनंद निकेतन</td><td>5.0 KM</td><td>5.0 KM</td><td>0</td><td>वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।</td></tr><tr><td>4.</td><td>शांति निकेतन</td><td>3.5 KM</td><td>3.5 KM</td><td>0</td><td>वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।</td></tr><tr><td>5.</td><td>वेस्टएण्ड</td><td>2.5 KM</td><td>2.5 KM</td><td>0</td><td>वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।</td></tr></tbody></table>	सी. नं.	कॉलोनी नाम	पाईप लाईन की लम्बाई	कम्पलीट किया कार्य	बचा हुआ पाईप कार्य	कारण	1.	वसंत विहार	27.5 KM	22.0 KM	5.5 KM	रोड कटाई परमिशन नहीं मिलने के कारण।	2.	वसंत एनक्लेव	NA	NA	NA	यहाँ पर पाईप लाईन 2012 में बदली गयी थी।	3.	आनंद निकेतन	5.0 KM	5.0 KM	0	वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।	4.	शांति निकेतन	3.5 KM	3.5 KM	0	वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।	5.	वेस्टएण्ड	2.5 KM	2.5 KM	0	वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।
सी. नं.	कॉलोनी नाम	पाईप लाईन की लम्बाई	कम्पलीट किया कार्य	बचा हुआ पाईप कार्य	कारण																																	
1.	वसंत विहार	27.5 KM	22.0 KM	5.5 KM	रोड कटाई परमिशन नहीं मिलने के कारण।																																	
2.	वसंत एनक्लेव	NA	NA	NA	यहाँ पर पाईप लाईन 2012 में बदली गयी थी।																																	
3.	आनंद निकेतन	5.0 KM	5.0 KM	0	वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।																																	
4.	शांति निकेतन	3.5 KM	3.5 KM	0	वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।																																	
5.	वेस्टएण्ड	2.5 KM	2.5 KM	0	वर्तमान में पानी की सप्लाई नए पाईप लाईन के द्वारा की जा रही है।																																	

(ग)	एमवीवी कंपनी द्वारा आर. के. पुरम विधान सभा क्षेत्र के कितने हिस्सों में पाइप लाइन डालने और पानी की सप्लाई को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या समय सीमा रखी गई थी; विवरण सहित बताया जाए;	आर. के. पुरम विधान सभा क्षेत्र के वसंत विहार, वसंत एन्क्लेव आनंद निकेतन, शांति निकेतन, वेस्टएंड हिस्सों में पाइप लाइन डालने और पानी की सप्लाई को सुचारु रूप से चलाने के लिए दिसंबर 2014 तक समय सीमा रखी गयी थी।
घ)	क्या यह सत्य है कि एमवीवी कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे भूमिगत पानी के टैंकों को एक समय सीमा के बाद वापस देना था;	भूमिगत पानी का टैंक दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉपर्टी है और एमवीवी का प्रोजेक्ट कार्यकाल पूरा होने के बाद वापस देना है, जिसकी समय सीमा दिसंबर 2022 तय की गई है।
ङ)	यदि हाँ तो क्या यह भी सत्य है कि ये टैंक अभी तक वापस नहीं सौंपे गये हैं;और	'घ' के संदर्भ में लागू नहीं है।
च)	इन्हें जल बोर्ड को कब तक सौंप दिया जाएगा?	एमवीवी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दिसंबर 2022 में सौंप दिया जाएगा।



निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi